

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अथवा सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो आर. के. श्रीवास्तव 2. वर्तमान धारित पद उप-प्रचार्य3. वर्तमान वेतन 67,000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2021

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. ओपाल	प्लॉट	-	25 लाख	स्वयं	कृय किया	निरंक	
2. ओपाल	प्लॉट	-	10 लाख	स्वयं	कृय किया	निरंक	
3. दतिया	प्लॉट	-	04 लाख	स्वयं	कृय किया	निरंक	
4. दतिया	मकान	-	65 लाख	श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव माता जी	पिता द्वारा कृय किया गया	26 हजार रु. मास	
5. दतिया	-	कृषि भूमि	40 लाख	सामंजित	पिता द्वारा कृय किया गया	65 हजार रु. मास	

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही विवरण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि में पश्चात्त यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अथवा सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर आर. के. श्रीवास्तवनाम आर. के. श्रीवास्तवपद उप-प्रचार्य

W-229-2 (आपना) अ-700-

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अवल संपत्ति का विवरण, वर्ष २०२१

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमती विमला मिश्र 2. वर्तमान धारित पद प्रधानाध्यापिका

3. वर्तमान वेतन 61,700 अगली वेतनवृद्धि की तारीख नियमानुसार जुलाई-2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मकान नं० ॥ इट्स प्रजापरिसर अवधपुरी भोपाल (म.प्र.)	भवन	स्वयं	35,00,000	—	LIC हाऊसिंग फाइनेस लि. से लोन एवं स्वयं के लान से	Nil	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाधित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधन पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अवल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

Smt. Vimla Mishra
Head Mistress

W-229-2 व्यापना अ 700-

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२१

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो जीमिती ज्योति थापक 2. वर्तमान धारित पद व्याख्याता3. वर्तमान वेतन 58200/- मुल्ला अगली वेतनवृद्धि की तारीख July 2021
महाराष्ट्र

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल	गृह (फ्लैट) इस-2 सिमेंट अफर्टमेंट, लकल नगर लालधारी भोपाल	-	अनुमानित शशि 20 लाख	स्वयं एवं पति देवेन्द्र थापक संयुक्त नाम	आन्ध्रप्रदेश शि.टी.नगर शाखा भोपाल से बचत लेकर	स्वयं निवास	-
भोपाल	निर्माणाधीन भवन प्लॉट 30x40 फुट पुलाश परिसर गुलामाहर गार्डन	-	60 लाख रुपये अनुमानित	स्वयं के नाम	पति की सेवा निवृत्ति उपशान्त प्राप्त शशि एवं बैंक आफ इंडिया शाखा शि.टी.नगर गार्डन से बचत लेकर	निर्माणाधीन	-
होशंगाबाद	गृह (पुराना भवन) वर्ग 30x30 कटोरी के पास	-	20 लाख अनुमानित	पति देवेन्द्र कुमार के नाम	पति की पेंशनक सम्पत्ति के अन्तर्गत उन्हें प्राप्त	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए। होशंगाबाद

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 16(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अवैध है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर जीमिती ज्योति थापक 28/07/2021नाम जीमिती ज्योति थापकपद व्याख्याता

W-229-2 थापक अ न 00 -

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

सरला देवी

2. वर्तमान धारित पद

चयनित

3. वर्तमान वेतन

B951C P. 4

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

जुलाई 2021

58200/-

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1) 1065 नेहरू नगर सोपान	गृह	-	आलोनरी	पति / स्वयं	SBI से लोन लेकर चुका दिया	-	-
(2) 136, ग्रांड स्ट्रीट हिंगोला रोड 11 मिला के पास	गृह	-	27,000,000/-	पति / स्वयं	LIC से लोन लिया	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पद.....

W-229-2 वापना अ न 100-

दिनांक 23-01-2021

CAD Forms (W) 1

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो रहा है 2. वर्तमान धारित पद

3. वर्तमान वेतन

BASIC-58200/1 अगली वेतनबृद्धि की तारीख
P.BAND-36000 61,800-00

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. एस-872 एवं 873 गेटबक नगर नोपाल (मज)	15X30= 450 वर्ग फिट का मकान	-	17,00,000/- के प्रत्येक 17,00,000X2 = 34,00,000 चौकीस लाख	स्वयं प्राप्त पट्टा के नाम पर	सन 2004 में तब लाया गया है और वर्यय वेद लेने के लिए किया गया	नहीं	
2. ग्राम-बाँसा, पोस्ट गुललवाही थाना व नर-शहरपुरा जिला-डिंडोरी (म.प्र.)	-	20 एकड़ (बीस एकड़)	17,00,000/- सन 2004 में	पिताजी द्वारा नाम पर	विरासत से	5,00,000/- गृह-ग्राम में पाँच लाख रुपये का मकान (लगाया) गाँव में गाँव 25 लाख का 25 लाख का	वर्तमान सम्पत्ति गृह-ग्राम में पाँच लाख रुपये का मकान (लगाया) गाँव में गाँव 25 लाख का 25 लाख का

जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परवाना यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

W-229-2 वापना अ न 00-

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२१

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

शशि प्रभा

2. वर्तमान धारित पद

0 मास् माता

3. वर्तमान वेतन BASIC PAY..... अगली वेतनवृद्धि की तारीख

56500/-

जुलाई २०२१

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
E-185, Minal Residency J.K. Road Bhopal	गृह	-	1500000/- (पंद्रह लाख) अनुमानित	मेरे पति स्व मेरे नाम पर	H.D.F.C से लोन लेकर सन् 2000 में	NIL- स्वयं के आवास के लिए	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के समर्थन में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अवेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परवान् वह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अवल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

Shashi

शशि प्रभा

0 मास् माता

W-229-2 (आपना) अ न ७७ -

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

Pushplata Marani

2. वर्तमान धारित पद

Lecturer

3. वर्तमान वेतन

52500/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

01.07.2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला - नोपाल तहसील - कुजूर ग्राम - सोलागपुर		122.96 sq. mt.	20 लाख	स्वयं	लोन		

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परचा यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

Pushplata Marani

नाम

पद

Lecturer

W. 229 - नोपाल जे नो -

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो मीना मोरिया 2. वर्तमान धारित पद वारंट व्यवस्थापक
3. वर्तमान वेतन ₹ 2,25,200/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2022

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित है।	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. सारापुर जिला रायगढ़ (स.उ.) उच्च न्यायालय	लाल	लाल	20x10x10 वर्ग फीट	पिता जी जी पी. शर्मा (सारापुर)	पिता जी जी पी. शर्मा (सारापुर)	-	-
2. 100x100 => 10,000 वर्ग फीट मकान	मकान	मकान	50,00,000	पिता विरासत	विरासत	-	-
3. 50 बीघा कृषि भूमि	कृषि भूमि	कृषि भूमि	₹ 10 करोड़	विरासत पिता	विरासत	-	-

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में सलाह मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के अंतर्गत हैं।

हस्ताक्षर

नाम

पद

W-229-अध्यापन) अ 700-

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२।

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अशोक कुमार

2. वर्तमान धारित पद

3. वर्तमान वेतन 70600/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई २१

व्यवसाय

गुजराती

8/12/21

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① EWS 93 पेहरा नगर भोपाल	गृह	-	25 लाख	श्रीमती प्रवीण मेहरोत्रा	① बैंक से ऋण	1 लाख	-
② बररवेडी खुर्द (नीलवड)	फार्म हाउस (निगम धन)	5000 वर्गफुट	शान नहीं	-	② पी.एफ		
③ नीलवड (कलरवेडा)	-	3000 वर्गफुट	-	-	③ पैनल सम्मान		
					④ रिश्तेदार से लिए।		

* जहां लागू न हो कार्ट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवकों (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महाने को अपाधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

अशोक कुमार

व्यवसाय

W-229-2 व्यापन) अ-700-

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

GAD Form (W) 1
8/12/21

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमती जमना दीक्षित 2. वर्तमान धारित पद व्याख्याता

3. वर्तमान वेतन 67000 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
कटरा हिल्स ग्राम वरई तहसील इजूर जिला मोपाल	गृह मकान नं. 176 1100 स्क्वायर फीट हेव्स लाईफ ग्राम वरई ग्राम सेवा न्या मोपाल	-	80 लाख	पति स्वयं स्वयं के नाम	अगस्त 2013 में कुकिंग हेव्स लाईफ विलडस से क्रय किया पजेशन प्राप्त की	No	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक या उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर
नाम श्रीमती जमना दीक्षित
पद व्याख्याता

W-229-2 व्यापन) अ 700 -

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2021

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो मनोज कुमार चतुर्वेदी 2. वर्तमान धारित पद पारपाल
3. वर्तमान वेतन 52500 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2021

उस जिले, उपसभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. ग्राम-बनारस तहसील-जावर जिला-रतलाम	गृह	700 Sqft	1325000	स्वयं	खरीद दि. 17/02/16 विक्रेता-डुर्गाबाई प्रति मांगीलाल	Nil	—
2. मांजा सरानी प.ह.नं. 65 रा. नि.म. दतरपुर तहसील-दतरपुर जिला-दतरपुर (म.प्र.)	प्लॉट	2000/- Sqft	204500/-	स्वयं	खरीद दि. 09/05/18 विक्रेता-पदीप डुवे	Nil	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर Manoj

नाम मनोज कुमार चतुर्वेदी
पद पारपाल

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2021

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमती अलेका पट्टाश्री 2. वर्तमान धारित पद व्याख्याता
 3. वर्तमान वेतन 64600/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2021

उस जिले, उपसभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. गृह - जावरा जिला रेवला	गृह	-	कोरह लाख लगभग	स्वयं	लोन की रजिस्ट्री करवाकर मिति 1999	-	-
2. ग्राज फायर लाइफ गृह - जावरा	-	कृषि भूमि	तीन लाख लगभग	स्वयं	03.07.12 ग्रीमसिंह द्वारा (कोरह)	-	-
3. समरपार्क निवास रोड इंदौर	-	लोन	13 लाख लगभग	स्वयं	LICHLF द्वारा लोन स्वयं स्वयं सुनीता संचेती इंदौर द्वारा 20-07-12	36000/-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर अलेका पट्टाश्रीनाम श्रीमती अलेका पट्टाश्रीपद व्याख्याता

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2021

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमती निर्मला बेरागी 2. वर्तमान धारित पद ब्यारठ्याता
 3. वर्तमान वेतन 66500 अगली वेतनवृद्धि की तारीख माडल स्कूल जावरा

उस जिले, उपसंभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
साँवरिया कालोनी बन्नाखेडा जावरा रतलाम, उज्जैन	गृह	—	सात लाख साठ हजार लगभग	स्वयं	स्वयं के द्वारा यू.को. बैंक जावरा से लोन द्वारा	निरंक	
आदित्य नगर कुम्हारी, जावरा रतलाम उज्जैन	—	1 प्लॉट	छह लाख साठ हजार लगभग	स्वयं	श्रीमती सुमित्रा पति शजेन्द्रकुमार से दिनांक 03-11-14 को क्रय किया गया। स्वयं के द्वारा	निरंक	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर निर्मला बेरागी
21-01-21

नाम श्रीमती निर्मला बेरागी
 पद ब्यारठ्याता
माडल स्कूल जावरा

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2021

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो पूज्य-पद्म पांडेय आर्चक उमादेव जाकरा
2. वर्तमान धारित पद आरक्षक
3. वर्तमान वेतन 66500/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2021

उस जिले, उपसंभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जाकरा जिला-रतलाम	गृह	—	1500000/- (लगभग)	स्वयं के नाम पर है।	खरीदकर बंधक से तहना लेकर उद्धृत रसीद (बड़वादा) 13/2/03	Nil	—
गांव-धरशवदा जिला-रतलाम	गृह	हिसाबमि 09 बीघा	1700000/- (लगभग)	स्वयं एवं परिवार के सभी सदस्यों के नाम पर है।	विरासत में प्राप्त गांव-धरशवदा	35000/-	—
गांव-धरशवदा जिला-रतलाम	—	हिसाबमि 04 बीघा	800000/- (लगभग)	पुत्र-अशोक पांडेय के नाम पर है।	खरीदकर-पूजागाल (धरशवदा) 25/2/02 गद्दर अहमद (बड़वादा) 11/3/08	30000/-	—
गांव-धरशवदा जिला-रतलाम	आवासीय प्लॉट	प्लॉट 32X42	63000/-	स्वयं के नाम पर है।	खरीदकर फूटा रीट (धरशवदा) 02/5/18	Nil	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर पूज्य-पद्म पांडेय
20/1/21नाम पूज्य-पद्म पांडेयपद आरक्षक

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२०-२१

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

श्रीमती सीमा शुक्ला

2. वर्तमान धारित पद

U.D.Y.

3. वर्तमान वेतन

57400/

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

July 21

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मंडला (माधुपुरी)	गृह	कृषि शेखर भूमि Agri land	—	संयुक्त पारिवारिक संपत्ति पति के नाम संयुक्त संपत्ति	विरासत	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अवल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

S. D. Y.

नाम

श्रीमती सीमा शुक्ला

पद

U.D.Y.

W-229-2 वापस आ न 100-

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२१

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो डॉ. कीर्णा श्रीविस्तव म.प्र.स्कूल 2. वर्तमान धारित पद प्राचार्य, हाई-स्कूल
 3. वर्तमान वेतन 84,900 + D.A. अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01 जुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल / बुजूर कोलार रोड	D-HIG 03 Beomakunj Parisar (flat) Kolar road Bhopal	-	30,00,000/- (तीस लाख)	संयुक्त रूप से पति श्री मधुल खरे	सम्पत्ति का सम्पूर्ण शुभान पति श्री मधुल खरे द्वारा दिया गया है।	NIL	-

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परवाना यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

डॉ. कीर्णा श्रीविस्तव

पद प्राचार्य हाई-स्कूल

(वर्तमान में सहायक प्राध्यापक प्रतिनिधित्व में)

W-229-2 (आपन) अ 700-

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अथवा सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

Mr. Rekha Sharma

2. वर्तमान धारित पद

Principal

3. वर्तमान वेतन ... 82,400 अगली वेतनवृद्धि की तारीख ... 01.10.2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
पूजा गुरुद्वारा भोपाल	गृह	—	90 lakhs. (वर्तमान)	स्वयं का नाम	कृपया लिखा जाय	—	—
विद्यानगर होमोगीनस रोड	भूखंड	—	1 cr. (वर्तमान)	पिता का नाम	कृपया लिखा जाय विद्यानगर अनुमति लि.	—	—

जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवकों (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवकों के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र पर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उरी विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

Mr. Rekha Sharma

Principal

प्राचार्य

आदर्श उ.मा. विद्यालय
टी.टी. नगर, भोपाल

W-229-2 थापना अ न 00 -

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

श्रीमती इन्द्रा सक्सेना

2. वर्तमान धारित पद

उच्च श्रेणी शिक्षक

3. वर्तमान वेतन

65,500 + डी.ए.

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

फरवरी २०२१

म. प्र. शासक कार्यालय

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भीपाल	फ्लैट (ई-४) म.प्र. गृह निर्माण मंत्रालय	-	1,75,172	श्रीमती ताराबाई एवं इन्द्रा सक्सेना (सासू मा एवं स्वयं के संयुक्त नाम)	सासू मा के द्वारा (क्रय) विरासत	-	पुत्र मिलाकर रखा
ग्राम मिसरीद भीपाल	-	प्लॉट 1108 कर्गिफुट	5,16,000	स्वयं एवं पति के संयुक्त नाम	पति श्री-जी.पी.एफ एवं पार्टनरियल एवं अल्पवयस्क सिद्दिक 29.3.2010	-	मा.शि.म. के द्वारा क्र. प्रशा. /स्था 749/ 4-3-2010 से पति प्लॉट क्रय करने की अनुमति प्राप्त हुई

* जाड़ा लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के समर्थ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर... इन्द्रा सक्सेना

नाम श्रीमती इन्द्रा सक्सेना
पद उच्च श्रेणी शि. (प्रतिनियुक्ति)

W. 229-2 कापन) अ 700 -

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो जीता क-६६३ 2. वर्तमान धारित पद उपस्थाना
3. वर्तमान वेतन 77,100/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2021 कर्मचारी 8/12/21

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. भोपाल पुल- विधा नगर भोपाल	गृह मकान		50 लाख	स्वयं	वै के द्वारा खरोद	Nul	-
2. सीमसगढ़ भोपाल		भूमि 2250 59 ft	4 लाख	स्वयं	जमा पूजा द्वारा	Nul	

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परवाना यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

Neeta Kanhai

पद

Lecturer.

W-229-2 व्यापन) अ 700-

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२०-२१

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमती मुक्ति श्रीवास्तव

2. वर्तमान धारित पद हाई स्कूल प्राचार्य

3. वर्तमान वेतन Rs. 87400/- अगली वेतनबृद्धि की तारीख JULY-2021.

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल	गृह	-	-	स्वयं स्व पति के नाम	खरीद श्री वासुदेव दुबे I.P.S. 05.09.02	3 लाख	शासन विभागा सदस्य क्रमांक/स्वा 102/आ. भवत क. 35/02/668 भोपाल ५/०२
भोपाल	-	आवासीय प्लॉट	-	स्वयं	-	-	गृह निर्माण समिति सदस्य

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : माध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 16(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अवल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर श्रीमती मुक्ति श्रीवास्तव

नाम श्रीमती मुक्ति श्रीवास्तव

पद हाई स्कूल प्राचार्य

W-229-2 वापना अ न ७७७ -

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अबल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२१-२२

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

आशा बैराज

2. वर्तमान धारित पद

प्रचार्य (हाई स्कूल)

3. वर्तमान वेतन

77100/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

01/07/2021

9/10/2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
इंदौर (तिल्लौ (सुर्दा) राला मेसला	-	4500 वर्ग फीट लगा	18 लाख	स्वयं के नाम पर	स्वयं खरीद कर	-	-

जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अबल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

Asha Bais

प्रचार्य (हाई स्कूल)

W-229-अध्यापन) अ न ७७७-

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमती सुनंता शिवलाल 2. वर्तमान धारित पद पी.सी. (H.S.)
3. वर्तमान वेतन ८,२५०० = ८० अगली वेतनवृद्धि की तारीख ०१-०७-२०२१ श्री नरेश ८/५/२१

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम पूना अरुली. तह-कुशर, मोपाक	हो. 221 2014/2015, पूना अरुली.	अपना	4 पट्टा 12 ला. (लगभग)	स्वयं खं परा. श्री डो. जी. शिवलाल के नाम (संयुक्त रूप से)	ला. 2-श्री लाल ठा. 2 डिग्री 10 मिनट 30 से. निगमि - एक से लोन लेकर	-NIL-	
ग्राम - मिहरोड तहसील - कुशर	कोरल गुड	पट्टा	28 ला. लगभग	स्वयं के नाम पर (2 डिग्री 50 मिनट)	स्वयं खं से. लोन लेकर	-NIL-	

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवकों (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवकों के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अवल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

27.01.2021

श्रीमती सुनंता शिवलाल
पी.सी. (H.S.)

W-229-2/2021 अ 700-

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२१।

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो सौरभ कुमार मोढ़ 2. वर्तमान धारित पद सहा. शि. विज्ञान

3. वर्तमान वेतन 42700 + D.A. 12% अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
करोड़ भोपाल	फ्लैट	—	15 लाख	स्वयं	8.5 लाख बैंक लोन 3 लाख गैस राहत 2.2 लाख माताजी एवं पत्नि की कन्या	—	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह सप्ताहों की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर Saurabh Kumar Mohd

नाम सौरभ कुमार मोढ़
पद सहा. शि. विज्ञान

W-229-2 व्यापना अ न ७७ -

कार्य

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो आर. डी. वम 2. वर्तमान धारित पद सहायक शिक्षक

3. वर्तमान वेतन .. 59900/- ... अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/03/2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो।	संपत्ति का नाम तथा ब्यौर		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौर	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं !

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवकों (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महाने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उस विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पड़े या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

॥

यद्

W. 229-2 (પાન) ક્ર. 700 -

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

yogesh m. sh

2. वर्तमान धारित पद

UDT

3. वर्तमान वेतन

40,800 + DA

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

1. 7. 21

प्री गिअर
वाश 21

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SHAHNOL	House	Land 4000 sq. ft	25 lakh	self	Ancestral (पैतृक)	-	-
Bhopal	House	800 sq. ft	25 lakh	self	purchase	-	Under Construction

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेब के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार वहाँ की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

yogesh m. sh
UDT

W-229-2 वापन) अ 700-

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमती प्रियंका परमार 2. वर्तमान धारित पद 3. से. रि.

3. वर्तमान वेतन 48100 + DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. भोपाल	रायपिंक सिटी कोलार रोड	-	20 लाख	स्वयं	-	-	(under construction)
2. भोपाल	होशंगाबाद रोड	800 sqft	8 लाख	स्वयं	-	-	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवकों (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर का प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

श्रीमती प्रियंका परमार

उ. से. रि.

साउल स्कूल टी. टी. नगर
भोपाल

W-229-2 व्यापन अ न 000-

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो Vorsha Khadgi 2. वर्तमान धारित पद U.D.T.
3. वर्तमान वेतन 4.15.00/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jaoth	Home		22,00,000/-	Self	By loan	-	-

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवकों (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवकों के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परवाने यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उक्त विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर Vorsha Khadgi
 नाम U.D.T.
 पद

W-229-2 वापस आ 700-

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२१

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो शिखुपाल सिंह यादव 2. वर्तमान धारित पद3. वर्तमान वेतन 444000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई २०२१

मूल वेतन -

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. ग्राम इगायतपुर मोपाल	भवन	—	22 लाख	स्वयं	बैंक लोन (Central Bank of India)	nil	—
2. ग्राम कलखंडा मोपाल	भूखंड 2000 वर्गफिट	—	8 लाख	स्वयं माई	पारिवारिक (लक्ष्मी)	nil	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह सप्ताहों की अवधि के परवाना यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह अपने स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर शिखुपाल सिंह यादवनाम शिखुपाल सिंह यादवपद उ. अ. डिप्टी

W-229-2 (पान) अ-700-

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

कल्पना भारतीय माइल

2. वर्तमान धारित पद

U.D.T.

3. वर्तमान वेतन 55700/- P.A. अगली वेतनवृद्धि की तारीख

जुलाई 2021

21 मार्च 80
नारक

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A-239 शाहपुरा मोपाल	गृह	-	60 लाख रु. लगभग	पुत्र - पंकज भारतीय पुत्र - मंजुल भारतीय	विरासत	-	-
H.I. G-43 माई शेवेलु फैस I कोलार मोपाल	गृह	-	लगभग 35 लाख रु. रुपय	स्वयं - भारतीय कल्पना	सन् 2011 में S.B.I. बैंक द्वारा लोन लेकर स्वीकार किया	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

कल्पना भारतीय

U.D.T.

W-229-2 कल्पना अ नारक

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो Preeti Deharye 2. वर्तमान धारित पद U.D.T.3. वर्तमान वेतन 44000 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1.07.2021 for 12th pay band

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **ख़रीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
विसनखेडा, अवधुल हगज जिला-रायसेन		भूमि	5,00,000	स्वयं	स्वयं की ख़रीद स्वयं धारित सहायता से	नहीं	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अवेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

Preeti Deharye
U.D.T.

W-229-2 कोपना अ-700-

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीराम कान्त राम 2. वर्तमान धारित पद 3080 रि०

3. वर्तमान वेतन 48100/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2024

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bhopal (Grammishw)	Plot	—	17 lacs	स्वयं के नाम पर	2015 भारत Under construction	NIL	
Bhopal Grammishw (Banam)	Plot	—	3/50 lacs	स्वयं के नाम पर	2015	NIL	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अवचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

Nishant
UDF

W-229-2 वापस आ 700-

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमती सुधा गोविन्द 2. वर्तमान धारित पद 3. सेवा का प्रकार UPT.

3. वर्तमान वेतन पैसिड : 51000 + 54 अगली वेतनबृद्धि की तारीख नियमावली 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
E-5/81 औरा काफोनी, भोपाल (म.प्र.)	गृह	-	-	स्व. काफोनी दासजी गोविन्द (ससुरजी)	पेट्टा	निजी निवास	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेब के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परवान पर यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर
नाम श्रीमती सुधा गोविन्द
पद उप निरीक्षक (UPT.)

W-229-2 कापन) 30-7-2021

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमती मंजू श्रीवास्तव 2. वर्तमान धारित पद उप. मुकी शिक्षक3. वर्तमान वेतन 45320 अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>राजसैन</u> <u>मण्डल</u>	-	<u>Plot</u> <u>1000</u> <u>59/1st</u>	<u>3</u> <u>Calch</u>	<u>मेरे और मेरे</u> <u>पति के संयुक्त</u> <u>नाम से</u>	<u>खरीद</u> <u>यह</u> <u>लोग</u>	<u>NIL</u>	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह माहों की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम मंजू श्रीवास्तवपद उ. मु. शिक्षक

W-229-2 व्यापना अ 700-

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2021

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो महेश कुमार नौरिया 2. वर्तमान धारित पद स.शि.
3. वर्तमान वेतन 48100/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 जुलाई 2021

उस जिले, उपसंभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जावरा जिल्ला रतलाम	गृह	-	2200000/- अनुमानित	स्वयं	बैंक कृण द्वारा - 2006	-	-
- - -		प्लॉट	500000/-	११	बैंक कृण द्वारा	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर M. K. N.नाम महेश कुमार नौरियापद स.शि.

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2021

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो डोंगर सिंह खन्ना 2. वर्तमान धारित पद उ.श्रे.शि.
 3. वर्तमान वेतन अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2021

उस जिले, उपसंभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो :-	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला-रतलाम तह.-जावरा ग्राम-बन्नाखेड़ा	गृह 20X35	-	ज्ञात नहीं	स्वयं	खरीदा, प्रण द्वारा	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर डोंगर सिंह खन्ना

नाम डोंगर सिंह खन्ना
 पद उ.श्रे.शि.

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2021

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमती हेमन्ती रानी 2. वर्तमान धारित पद उ. श्र. शि.
 3. वर्तमान वेतन 46800 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1.7.2021

उस जिले, उपसंभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जावरा जिला रातलाम	गृह	भूमि 15x50 750sq.	आवकही	स्वयं	बैंक कृण द्वारा भूकी बेंड जावरा	NIL	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर 7/3नाम श्रीमती हेमन्ती रानीपद उ. श्र. शि.

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2021

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो मनोहर सिसोदिया 2. वर्तमान धारित पद उ. प्र. शिक्षा
 3. वर्तमान वेतन 48100/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2021 मॉडल स्कूल जावरा

उस जिले, उपसंभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जावरा जिला बतलाद	गृह	-	ज्ञात नहीं	स्वयं	2003 में प्रेषा लेकर ICICI बैंक	-	-
जावरा जिला बतलाद	-	प्लॉट	ज्ञात नहीं	स्वयं	2013 में खरीदा	-	-
खरगोन (प. निमाड़)	-	पड़त भूमि	ज्ञात नहीं	स्वयं	2013 में खरीदा	-	-
खरगोन (प. निमाड़)	-	प्लॉट	661000/-	पत्नी	21.9.20 को संयुक्त रूप से शा. से. पत्नी की बचत से खरीदा - गोपालशर्मा	-	-
खेगांव जिला खरगोन	-	पड़त भूमि	ज्ञात नहीं	स्वयं	2014 में खरीदा संयुक्त प्रजापति	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर मनोहर सिसोदिया
23.1.2021नाम मनोहर सिसोदिया
पद उ. प्र. शिक्षा

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2021

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

2. वर्तमान धारित पद

3. वर्तमान वेतन 63600/ अगली वेतनवृद्धि की तारीख July 2021

उस जिले, उपसंभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
हनुमानगढ़ जिला तहसील पिपलौरा जिला रावतगढ़	—	कृषि भूमि 12.88	राजत नही	स्वयं के नाम पर	जिला से विरासत में मिली	अनुमानित 4.25 लाख	
ग्राम बोरदा तहसील जावर	—	कृषि भूमि 0.30 आर	राजत नही	— do —	खरीदी 29/04/99 श्री जाकिर हुसैन से 60,000/रु में स्वयं की बचत से	Nil	
ग्राम बजरवाडा तहसील जावर	—	कृषि भूमि 0.54 आर	राजत नही	श्रीमती राजलक्ष्मी-प-डाबर (हकी)	खरीदी 24/03/08 श्री बगदीरा मुन्तेल से 3,93,000/स्वयं की बचत से	Nil	
ग्राम लोहार पत्तक रकौली	लॉट 25X45	—	राजत नही	स्वयं के नाम पर	खरीदी 26/06/04 मे. शरीफ से 1,52,000/मे स्वयं की बचत से	Nil	
13 राजीव काहनेनी/जावर	गोखरा 2098 Sq Ft	—	राजत नही	— do —	खरीदी Sep 2010 मे श्री वेद प्रकाश रिचरिया से बैंक लोन से 12,50,000/मे	Nil	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर Malsingh

नाम अनुदेव रिच-प-डाबर
पद पी.टी.आई.
मोडल स्कूल जावर

फॉर्म नं. 1
8/12/21
GAD Forms (W) 1

फार्म

प्रथम नियुक्ति वे: समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२१

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो: अनिल कुमार
2. वर्तमान धारिता पद: होम-रूल विभागी
3. वर्तमान वेतन: 38100/- अगली वेतनबृद्धि की तारीख: 1-7-21

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा स्थिति		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधन, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्थिति	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
रिया	भवन	-	6,00,000/- (छह लाख)	मेरी भवती श्रीमती किरीटिणी लाम्बे नाम पर है	पुस्तक	-	9121 के नियम के अनुसार अचल सम्पत्ति नहीं है।

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में साधारण मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकाल में घटे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: नभयदेश शासकीय सेवक (आवक) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक तदवस्था से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार होने की अवधि के परचात यह घोषणा पत्र का प्रस्तुत करे और इसमें वह अपने स्वामित्व की तथा उससे द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिले या उसके अर्जने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधन पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के बारे में।

W-229-2 व्यापन) अ न 00 -

(Signature)
 प्राचार्य
 जहाँ उ का विद्यालय
 सिविल लाइन्स, रिया (मं.प्र.)

हस्ताक्षर: *(Signature)*
 नाम: अनिल कुमार
 पद: निदेशक निदेश (निदेशिका) नाम
 प्राचार्य निदेशक मंडल रिया
 (प.प्र.)

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमती तहसीन खान 2. वर्तमान धारित पद माध्यमिक शिक्षक

3. वर्तमान वेतन अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उत्त जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा स्वरूप		*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्वरूप	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के तत्पर्य में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पवस्तुएं पड़े भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणियाँ : मध्यप्रदेश शासकीय सेवकों (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परमाणु यह घोषणा कर पर कर प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पड़े या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के अंतर्गत दें।

हस्ताक्षर

श्रीमती तहसीन खान
माध्यमिक शिक्षक

W-229-2 थापना अं न ७७ -

प्राचार्य

आदर्श उ० का० विद्यालय
मिथिल लाहन्स, रीवा (म०प्र०)

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण; वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो दीपमाला शर्मा 2. वर्तमान धारित पद मा. शिक्षक

3. वर्तमान वेतन अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उत्त जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा म्योर		*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा म्योर	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
रीवा		भूमि 2480 sq feet	8,68,000	—	श्री खरीद 11/12/2020	Nil	—

- * जहाँ लागू न हो कार्रवाई।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 10(3) के अर्धीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परवाना यह घोषणा कर पर कर प्रस्तुत करे और उसमें वह उसके स्थानिक को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के ज्ञाते हैं।

हस्ताक्षर

नाम Deepmala... Sharma
 पद Middle... Teacher...

W-229-2 व्यापन) अं न ७७ -

Pracheef

प्राचार्य

आदर्श उ० मा० विद्यालय
 विहित लाइन्स, रीवा (म०प्र०)

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल संपत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमती राशमी तिवारी 2. वर्तमान भारित पद माध्यमिक शिक्षक

3. वर्तमान वेतन अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उप जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा स्वरूप		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर भारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खोद, पट्टा, बंधन, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्वरूप	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
रीवा	—	भूमि 45X60 = 2700 Sq	10,00,000 Lakh	—	स्वरीद (1999)	Nil	—

जहाँ लागू न हो कोट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अव्यवस्थित पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : ग्रामपंचायत शासकीय सेवक (अवकाश) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के पदों पर कार्य करने वाले अधिकारी हैं कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के समाप्त पर पद पर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिले या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधन पर उसके द्वारा भारित समस्त अवल संपत्ति के नतीरे दें।

हस्ताक्षर Rashmi Tiwari
 नाम Rashmi Tiwari
 पद Maধ্যमिक शिक्षक

W-229-2 वापस आने पर -

प्रचार्य
 कार्यवाही उ० मा० विद्यालय
 सिविल लाइन्स, रीवा (म.प्र.)

7.11.71 229
8/12/71
प्राचार्य

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अथवा सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो मनेज कुमार सोनी 2. वर्तमान धारिता पद माध्यमिक शिक्षक

3. वर्तमान वेतन 40700 अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा खोरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खोरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1) शिवा	सह 40x30	-	40,000/-	पुत्रों के नाम	शरीदकर 2013 मान्य	माल	-
(2) शिवा, हुमना ग्राम गाड़ा	20x30	-	100000/-	स्वयं	विरसता पिता से	माल	-
(3)	-	1.5 रु. 300000/-	300000/-	पिता के नाम	शरीदकर	10000/-	-

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में साधारण मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें आस्पासीय पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अवकाश) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार इन्होंने की अपेक्षा परचायत यह घोषणा पर भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसने द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधन पर उसके द्वारा धारित समस्त अथवा सम्पत्ति के धोरे दें।

हस्ताक्षर...
नाम मनेज कुमार सोनी
पद माध्यमिक शिक्षक
वि. शिवा (म.प्र.)

W. 229-2 थापना अ न 00 -

प्राचार्य
कार्यालय उ० मा० विद्यालय
सिविल लाइन्स, शिवा (म.प्र.)

27/12/2018
8/1/18
13

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो विमलेश कुमार शिंदे 2. वर्तमान पारित पद माध्यमिक शिक्षक

3. वर्तमान वेतन अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा स्वरूप		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्वरूप	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम पोस्ट - अरगा जिला - सतना (ह.उ.)	5 एकड़	5 एकड़	50 लाख	स्वयं	विरासत	1 लाख 20 हजार/-	
ग्राम पोस्ट - बड़हरा जिला - सीधी		4 एकड़	40 लाख	पिता	विरासत	50 हजार/-	
ग्राम - जेरा पोस्ट - लखनी जिला - सीधी		3.5 एकड़	45 लाख	माता	विरासत	6 लाख 20 हजार/-	
						21 लाख 80 हजार/-	

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सटी निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति का सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाय।
*** दायरे अन्तर्गत पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 10(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह माहों की अवधि के पर्यन्त यह घोषणा करे कि वह अपने नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के विवरण देगा।

हस्ताक्षर विमलेश कुमार शिंदे
नाम विमलेश कुमार शिंदे
पद माध्यमिक शिक्षक

प्रमाणित

प्राचार्य

आवृत्ति 30 मा० विज्ञापन
सिफिल साइन्स, सीमा (20)

W-229-2 व्यापना अ न 100 -

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२१

ANITA TIWARI

Uchh. Madhyamik Sikshak

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

2. वर्तमान भारित पद

3. वर्तमान वेतन

45900

अगली वेतनवृद्धि की तारीख १५.०७.२१

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा स्त्री		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर भारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्त्री	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम: देहर लोथर रीवा	गृह (खेत)	दो खेत	11 लाख	पैतृक (सुपुत्र)	पैतृक	NIL	
ग्राम जौशर गंगोव रीवा	खेत	1 खेत	7 लाख	स्वअर्जित	स्वअर्जित	NIL	
सुंदरनगर रीवा	गृह	2500sq feet	60 लाख	अनीता मिश्रा स्वयं	स्वअर्जित	NIL	
लॉबारखेडा भोपाल	Flat	800sq ft	21 लाख	राजीव लोचन मिश्रा (पति)	स्वअर्जित	NIL	

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान रियायत के तन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अर्पण प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह शेष में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अभूषण उसे विरासत में मिले या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधन पर उसके द्वारा भारित समस्त अवल सम्पत्ति के स्त्री हैं।

हस्ताक्षर

नाम

पद

अनीता तिवासी
उच्च माध्यमिक शिक्षक

W-229-2 (आपना) अ न ७७० -

प्राप्त

आदर्श उ० का० विद्यालय
विल लाइन्स, रीवा (म०प्र०)

7/2/21
8/4/21

11

GAD Forma (W) 1

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अथवा सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कार्यवाही का (या) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमती वंदना सिंह 2. वर्तमान पद उच्च श्रेणी शिक्षक
3. वर्तमान वेतन 13090+3600 अथवा वेतनवृद्धि की खोज 01-07-2021

उप जिले, उप मंडल, तालुका तथा गांव का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित है	संपत्ति का नाम तथा स्त्री		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कार्यवाही में क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट आ अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और अर्जन की गई हो उसका वर्ष तथा स्त्री	संपत्ति से वार्षिक आय	प्रतिवृत्ति
	घर तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1) जिला - रीवा	मकान 30X60 Sq. feet खंजय नगर	—	Rs 47,00,000	पति - श्री अनेल सिंह	विरासत में	nil	
(2) जिला - रीवा	—	50X70 Sq. feet रीवा	Rs 23,00,000	स्वयं के नाम पर		nil	
(3) जिला - रीवा तहसील - मनगवाँ ब्लॉक - नडेही	—	25 रकबा कृषि भूमि	Rs 47,00,000	श्वसुर श्री सिद्धेश्वर सिंह के नाम पर	विरासत	Rs. 2,00,000 वार्षिक	

जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, बड़ा वर्तमान दियते के आदर्श में लगभग मूल्य बताइया जाए।
*** इसमें अन्तःकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी: राज्यप्रदेश शासकीय सेवक (अवधारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम वर्गों, द्वितीय वर्गों तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अवैधान्त है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह माहों की अवधि के पश्चात् यह घोषणा करे कि वह अपने परिवार को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने काम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अथवा सम्पत्ति के स्त्री हैं।

हस्ताक्षर: Vandana Singh
नाम: Vandana Singh
पद: UCC Shreeni Sikshak

आचार्य
आदर्श उ० मा० विद्यालय
सिविल लाइन्स, रीवा (म०प्र०)

१२/०७/२०२१
४/०७/२१

Form (W) 1

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अखिल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

सीताराम उळे

2. वर्तमान धारिता

शिक्षक

3. वर्तमान वेतन

39100/-

अगले वेतनबृद्धि की तारीख

01/07/2021

उस जिले उस संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा स्त्री		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका हस्ताक्षर कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिस व्यक्ति की गई हो उसका नाम तथा स्त्री	संपत्ति में वार्षिक आय	अभिप्रेत
	पूरा तथा अन्य धारण	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
शाम-कोरजा पो. मजगांव तहसील जिला बालाघाट	कच्चा मकान	उल्लू	15 लाख	श्री डेवीसिंह उळे (पिताजी)	पट्टा	50 हजार	—

* यहाँ लगान हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में तत्कालीन मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवकों (व्यवस्थापन) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अवधि है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह माहों की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके पञ्चांगिक को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिले या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधकों या उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अखिल सम्पत्ति के स्त्री दें।

हस्ताक्षर

सीताराम उळे
शिक्षक

आचार्य
सचिव का. विद्यालय
सिद्धि के देवस्थान, रीवा (म.प्र.)

पू. ध. 71/25/17
8 फरवरी

CAD Form (W) 1

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अञ्चल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

जीरफ़ी धुर्वे

2. वर्तमान धारिता पर

सहायक शिक्षक

3. वर्तमान वेतन 59900/-

अगले वेतनवृद्धि की तारीख

जुलाई 2021

उस जिले, उस मन्तव्य, तालुका तथा गांव का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा स्वरूप		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका आराखड़ा कर्मचारी में क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***स्रोत, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख को जिनसे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्वरूप	सम्पत्ति से आर्थिक लाभ	आधिकारिक
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल-बिलासपुर गृह	2000 वर्ग फीट	5,00,000/-	पिता, झाई	पैत्रिक	Nil	Nil	
गडरवाड़ा नरसिंहपुर मध्य	कृषि भूमि	25 एकड़ 25,00,000/-	स्वयं	विरासत	50,000/- फवास खजाना	Nil	
भोपाल डीम खिली धंशगावाड़ रोड भोपाल मध्य	फ्लैट	1400 वर्ग फीट	30,00,000/-	फर्नी	HDFC बैंक लोन PF लोन स्व बचत से	Nil	Nil

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** ग्राम अन्तर्गत पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी: सम्पत्ति शासक सेवा (नियम, 1959 के नियम 38(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महाने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अञ्चल सम्पत्ति के स्वरूप दें।

हस्ताक्षर
नाम
पद

जीरफ़ी धुर्वे

सहायक शिक्षक

प्राचार्य

आदर्श उ० मा० विद्यालय
सिद्धि लाइन्स, रोड (२०२०)

22/2/24
8/4/24

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समस्त अवलम्ब सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

जो: हरीश चंद्र शर्मा

2. वर्तमान धारित पद

सहा. डिप्टी

3. वर्तमान वेतन

अगली वेतनबृद्धि की तारीख

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा स्थिति		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधन, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्थिति	संपत्ति से वार्षिक आय	अभिवृत्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
डी.ए. (अ.ए.)	अवकाश	-	17 लाख	खिलाफे नगर पंचायत-पुरा लीन जमीन के बतौर	पट्टा	अ.ए.	

* जहाँ लागू न हो याट दोजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अवलम्बित पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: गणराज्य शासकीय सेवक (अवकाश) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अंतर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परन्तु यह घोषणा पत्र पर कर प्रस्तुत की और उसमें वह उनके स्थानित की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधन पर उसके द्वारा धारित समस्त अवलम्ब सम्पत्ति के ज्ञाते हैं।

हस्ताक्षर
 नाम: जो: हरीश चंद्र शर्मा
 पद: सहा. डिप्टी

W. 229 - 2 (आपना) अ. न. ०० -

प्राधाय
 आदर्श उ. नो. विद्यालय
 कविल लाइन्स, रीवा (२०००)

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

U. D. T.

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो *Arjun Sheema* 2. वर्तमान धारित पद

3. वर्तमान वेतन 4. अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा थोरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, गिरावत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा थोरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
दीवा (मोप.)	फ्लैट क्रॉस L. T. U. 03 3683 वर्ग फीट	भूखंड 114 X 60 कैरार दीवा	२, 0, 00, 00	← वयं	विक्रय पत्र 561 दिनांक 11/05/2001 श्री अशोक कुमार शास्त्री पाठन दोलादीवा विक्रय पत्र क्रमांक- 1149 दिनांक 24/07/01	N96 N92	

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान सिंगल के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवण) नियम, 1959 के नियम 16(3) के अधीन प्रथम वेतनी, द्वितीय वेतनी तथा तृतीय वेतनी स्तर के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार 5 महीने की अवधि के परचायत यह घोषणा करे कि वह अपने नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के थोरे में।

प्राचार्य

आवर्त ३० वा० विद्यालय
विश्वविद्यालय, रीवा (०००)

W-229-2 व्यापना अ न ७७० -

U. D. T.

फॉर्म नं. 1
Form (W) 1

फॉर्म

जनवरी

प्रथम नियुक्ति के समय अथवा सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२१

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

विजय कुमार बड़िये

2. वर्तमान पद

व्याख्याता

3. वर्तमान वेतन

52500/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

01.07.2021

उप जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौ		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतावाये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका श्रावणीय कर्मचारी से क्या संबंध है	इसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और अर्जन की गई हो उसका नाम तथा ब्यौ	संपत्ति से वार्षिक आय	अधिकार
	गुदा तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मेहावडिया ग्राम कोलार (गोपाल)	2 bhk फ्लैट	-	2000000/- (लगभग)	बैंक के नाम पर	बैंक से ग्रंटिभा वत्सलभ शर्मा गोपाल (होम लोन द्वारा)	NIL	NIL

* यहां लगान हो कर दर्जिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, अतः वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पबस्तुएं पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी: माध्यमिक शासकीय सेवाएं (आवृत्ति) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार होने की अवधि के परवान पर धोखा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके सम्पत्ति की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या किसी अन्य कर्म पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधकों पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति के विवरण सम्पत्ति के ब्यौ दें।

प्रमाणित
आदर्श उ. मा. विद्यालय
सिविल लाइंस, रीवा (म.प्र.)

हस्ताक्षर

नाम

विजय कुमार बड़िये

पद

व्याख्याता

मोडल स्कूल रीवा (म.प्र.)

20/7/21
8
पं. 1

GAD Form (W) 1

फॉर्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अथवा सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२१

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **श्रीमान चरण उपवर्षी लोधी** 2. वर्तमान पद **व्याख्याता (कुंफि)**
3. वर्तमान वेतन **54100** 4. वर्तमान वेतनवृद्धि की तारीख **जुलाई 2021**

उप जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, विवरण सम्पत्ति कितना है	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरा		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	इसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** स्तोत्र, पट्टा, बंधक, विरासत, श्रेष्ठ या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और विवरण अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिप्राय
	मूल तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. ग्राम/पो. रोशना तह/जि. बालाघाट (क.प.प.)	गृह एवं कुंफि	1 एकड़	1,00,000	स्वयं एवं भाई	पैतृक	500/-	—
2. ग्राम-आंवला झरी पो. भारवेली तह/जि. बालाघाट (क.प.प.)	गृह	3380 वर्ग फीट	25,00,000	स्वयं एवं पत्नी	होम लोन (LIC)	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान विधिति के समदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इन्से अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी: राज्यपरीक्षा शासकीय सेवकों (आवृत्ति) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेल के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि में परधान यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके रखादिले की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधन पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अथवा सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर 
श्रीमान चरण उपवर्षी लोधी
पद **व्याख्याता (कुंफि)**
मॉडल एच सी स्कूल सिविल लाइन
रोवा (क.प.प.)


प्रचार्य
अध्यापक पाठ विद्यालय
सिविल लाइन, रोवा (क.प.प.)

प्रारंभ

प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२१

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर्व) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो राजेश सिंह 2. वर्तमान धारित पद हाउसिंग

3. वर्तमान वेतन 54,100/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलै 2024

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा खोरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खोरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			रु. में				
(01) शिवा तह. कुजूरवाडी-16 भुजनादनगर शिवा म.प्र.	घर	1052 अ. फी.	30,00,000	पिता के नाम पर	पैतृक विरासत	NIL	
(11) शिवा तह. कुजूरवाडी-15, तह. कुजूर शिवा म.प्र.	घर	2025 अ. फी.	14,00,000	पत्नी के नाम पर	बचत एवं बैंक लेन दारा	NIL	
(111) गडचिरोली शिवा कुजूर तहसील (म.प्र.)	घर	2268 अ. फी.	11,00,000	स्वयं के नाम पर	बचत एवं बैंक लेन दारा	NIL	
(117) जिला इलाहाबाद, तहसील बारा अंकरगाव इलाहाबाद (यू.पी.)	15 एकड़	कृषि भूमि	1,00,00,000	स्वयं के नाम पर	पैतृक -	Rs 1,00,000	

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महाने की अवधि के परवाना पर धारण कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिले या उसके अपने नाम पर या उस परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधन पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के बारे में।

हस्ताक्षर Rajesh Singh
नाम Rajesh Singh
पद Chief - Model Housing

प्राचार्य

आदर्श उ० का० विद्यालय
सिविल लाइन्स, रीवा (म.प्र.)

W-229-अध्यापन अ 700-

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अवल संपत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो राजा भैया प्रजापति 2. वर्तमान पारित पद व्याख्याता
3. वर्तमान वेतन 62,000/- जगती वेतनपद्धति की जाँच (2008) जुलाई 2021

उत्तर जिले, उप संभाग, तहसीला तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ध्येय		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	इसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्वीय	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम/को सिरमौर जिला डीकमरा	मकान	-	15,00,000/-	पिताजी के नाम पर	पुर्वोनी	Nil	-
हकी रोड - हजरपुर (1090)	प्लॉट/मकान	-	10,00,000/-	स्वयं के नाम पर	श्री दीपक अंगरवाल द्वारा क्रय	Nil	-
सर्टि रोड समोकी की कोलासी के पीछे हजरपुर (1090)	40x60 = 2400 वर्ग फुट	-	10,00,000/-	नाम पर	श्री निरंजन अंगरवाल द्वारा क्रय	Nil	-
	50x40 = 2000 वर्ग फुट	-	5,00,000/-	"	श्री निरंजन अंगरवाल द्वारा क्रय किया गया	Nil	-

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अवकाशीय पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी: मध्य प्रदेश राजस्व सेवा (आवक) नियम, 1959 के नियम 10(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के इत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार गरीबों की आर्थिक परीक्षा में यह घोषणा करे कि वह अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल संपत्ति के ध्येय हैं।

हस्ताक्षर ... R. R. R.

राजा भैया प्रजापति

व्याख्याता - शांति बहादुर

विधायक - राविकांत सिंह सेवा (1090)

W-229-2 व्यापन) ज न 00 -

प्रमाणित
आचार्य 00 00 विद्यालय
सिद्धि कादम्बर, सेवा (1090)

20/12/17
प्राचार्य

GAD Form (W) 1

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अखिल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिससे वह हो **उमेशराव चौधरी** 2. वर्तमान पद: **व्यवस्थापक**
3. वर्तमान वेतन: **64600/-** अगले वेतनवर्ग की कोष्ठ

उस जिले, उप मंडल, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिससे सम्पत्ति प्राप्त हो	संपत्ति का नाम तथा स्त्री		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासक/उप कर्मचारी से क्या संबंध है	इसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खोद, पट्टा, बंधन, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख को लिखिए अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्त्री।	संपत्ति से वार्षिक आय	अधिवृत्ति
	पूरा तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
गा०-दहेगाँव पो०-बसाइरा तह०-बोर्नी जि०-बालाघाट (म०प्र०)	घर	-	12,00,000	पिता-पुत्र	पैतृक (विरासत)	निरंक	
	-	05 एकड़	8,50,000	पिता-पुत्र	पैतृक (विरासत)	95,000/-	
श्री कृष्ण नगरी पवार कुण्ड अबूत के पास वाड 07033 बाथरपुर बालाघाट (म०प्र०)	घर (निमगिणीन)		23,00,000	स्वयं के नाम	खुद आर्जित	निरंक	
	घर (निमगिणीन)		17,20,000	स्वयं के नाम	खुद आर्जित	निरंक	

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पवयस्कीय पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी: सम्पत्ति शासक/उप कर्मचारी (आचार्य) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह माहों की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उमय वह उनके स्वाक्षरों की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उरी विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधन पर उसके द्वारा धारित समस्त अखिल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर: *[Signature]*
नाम: **उमेशराव चौधरी**
पद: **व्यवस्थापक**

[Signature]
प्राचार्य
आदर्श उ० मा० विद्यालय
सिद्धि लाइन्स, रीवा (म०प्र०)

कार्य

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल संपत्ति का विवरण, वर्ष २०२१

1. अधिकारी/कार्यवाही का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो प्रशासन सिंह चौहान 2. वर्तमान धारित पद प्र. प्राचार्य

3. वर्तमान वेतन 66500 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा स्वरूप		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विवात, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा न्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
रतलाम- तावना ग्राम- बान्नामेडा सांजना विहार कोलोनी	आवासीय मकान 7705वर्ग	-	11 लाख लगभग	श्रीमती रतना चौहान पति के नाम पर	पति से आवासीय मकान द्वारा वर्ष 2005-2006 में कोलोना पत्तन द्वारा जमीन मालिकता से प्राप्त किया गया।	-	

* जहां लागू न हो कर दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए।

*** स्वयं अल्पकालीन रहते भी सम्मिलित है।

टिप्पणी : राष्ट्रपति शासक सेवा (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पदोन्नति की अवधि के पर्याप्त वह घोषणा पत्र पर कर प्रस्तुत करें और इसमें वह अपने स्वामित्व वाले तथा उसके द्वारा अर्जित अन्यथा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर रहते या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल संपत्ति के वर्णन करें।

हस्ताक्षर

प्रशासन सिंह चौहान

प्र. प्राचार्य (प्रभारी) प्रेमचंद

आदर्श उ. मा. विद्यालय, रतलाम

सिबिल लाइन्स, रतलाम

W-229-रतलाम ज. नं. 000

आदर्श उ. मा. विद्यालय
सिबिल लाइन्स, रतलाम

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अथवा संपत्ति का विवरण, वर्ष २०२१-२२

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो 200 का पत्र (अध्यापक), वर्तमान धारित पद 21/200 का

3. वर्तमान वेतन 61,700 रु. अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 जुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
श्रीवांग	गृह	Nil	24 लाख	डॉ० आर० के० पण्डित (पति के नाम)	विरासत मई 1997	Nil	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अवेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परवाना यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अबल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

W-229-2 (आपना) डॉ 700-

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमती उमा नेताम

2. वर्तमान धारित पद

च्यान्याता

3. वर्तमान वेतन 51200/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				nil			

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित संपत्ति अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

18.01.21

नाम

श्रीमती उमा नेताम

पद

च्यान्याता

W-229-2 व्यापन) अ 700-

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२।

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो कुंजी प्रती चंचल नारद (जैन) 2. वर्तमान धारित पद वर्मा (व्यापारी)

3. वर्तमान वेतन $\$8200 + 6984$ अगली वेतनवृद्धि की तारीख 21

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरा		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
लाजपत राय नं- लोलायडी- ला-	फरार		1800000/-	स्वयं के नाम	लाजपत राय होटी हो लोलायडी मेराम	+	+

जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पदों भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवा के (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेब के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार न होने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उन्हें विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधन पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

• **ITW**

यत्

W. 729-2 (પાન) ડા. 700 -

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल संपत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

श्री ० अरिच न २वा न

2. वर्तमान धारित पद

पुस्तकालय स्थापक

3. वर्तमान वेतन. 45,900.

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

1 जुलाई 2022

उप जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतसाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए

*** इसमें अल्पकालीन पदों भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवाओं (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली विधुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार सहानुभूति की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधन या उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

নাম: শ্রী: ডাক্তার বোর

पद पुलकित (पुलक)

W. 229-2 (149) 3A 700 -

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अन्तर्गत सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमति सुधा कान्ना 2. वर्तमान धारित पद स. शिक्षिका काइल (खल) शीपा

3. वर्तमान वेतन 51700 + नियम 30 अंगुली वेतनवृद्धि की तारीख 10/04/2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौर		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौर	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मौजाल	391/1 वी. एन 22 सर्वेक्षण काला 2015 मौजाल	मी	मकान 30 मी 15	—	पूरे लोन द्वारा	मी	

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक तदर्थ से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अन्तर्गत सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

श्रीमति सुधा कान्ना 2
स. शिक्षिका शीपा

W-229-2 कापना अ 700-